134

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1691—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—07—2007 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2006—07

.....

धनकुंवर बाई पत्नी लक्ष्मण सिंह
निवासी—ग्राम कलुआखेड़ी तह0 व
जिला—अशोकनगर, म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1— कुपान सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह
निवासी— ग्राम मुंगावली तहसील व
जिला—अशोकनगर

2— भोगीराम पुत्र अनरत सिंह(मृत) वारिसान—
1. रामसिंह पुत्र भोगीराम
2. हरीराम पुत्र भोगीराम
3. भैयालाल पुत्र भोगीराम
निवासीगण— ग्राम खजूरी छोटी तह0 व
जिला—शिवपुरी, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

आदेश

(आज दिनांक 7—10—2016 को पारित)

अवेदिका द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 27—07—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील न्यायालय शाढोरा के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 17.02.06 के द्वारा ग्राम कलुआखेड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक किता–3 रकबा 1.970 है0 के भूमिस्वामी चम्पाबाई के फौत होने पर आवेदिका धनकुवंर बाई के हक में सम्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दो अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण में आवश्यक निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 100/अपील/2006–07 पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 27–07–2007 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया । न्यायालय अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनावेदकगण द्वारा वसीयत का आधार बताकर अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के समक्ष अपील पेश की गई, जबकि वसीतय का आधार मानने योग्य इस कारण नहीं है, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण की मांग करना चाहिये था । प्रकरण में कोई नामांतरण की मांग नहीं की गई है । जब आवेदिका के हक में वैध वसीयत के आधार पर नामांतरण चाला गया और नामांतरण के नियमों का पालन कर आवेदिका के हक में निर्णय पारित किया, जिसे अपीलीय न्यायालयों द्वारा निरस्त किया गया । आवेदिका द्वारा नामांतरण आवेदन–पत्र के साथ असल वसीयत पेश की गई । उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत अघोषणा जारी की गई । आपत्तियां आहुत की जाकर कोई आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण नियमों का विधिवत पालन करते हुये वसीयत के गवाहों से सिद्ध किया जाकर वसीयत को संदेह से परे सिद्ध पाते हुये नामांतरण आदेश पारित किया है । अनावेदकगण को कोई विवादित भूमि में अर्जित नहीं होने के कारण विवादित अपीलीय आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निरस्त करते हुये आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

/ अनावेदकगण के अभिभाषक के अधीनस्थ न्यायालयों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह तथ्य प्रकट है कि उभयपक्ष के पृथक–पृथक वसीयतें सम्पादित की गई है और दोनों वसीयतों में मात्र 3–4 दिन का अंतर रहा है । आवेदिका के हक में सम्पादित वसीयत तो न्यायालय में प्रस्तुत हो चुकी है किन्तु अनावेदक के हम सम्पादित वसीयत को अभी न्यायालय में प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला है जब तक दोनों वसीयतें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो जाती तब तक किसी वसीयत के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती है । प्रकरण में विचारण न्यायालय के द्वारा न तो हितबद्ध पक्षों को काई सूचना दी गई है और न ही ग्राम में डोंडी पिटवाई गई है । अतएव तहसील न्यायालय का आदेश उचित नहीं कहा जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के निर्देश दिये है जो अपने स्थान पर उचित एवं तर्कसंगत है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है जो गलत नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2007 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर